

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०१/२०१९

शुद्धि-पत्र

पर्षदीय पत्रांक-1403 दिनांक-31.07.2019 के क्रमांक -29 पर अंकित विवरणानुसार डॉ० गायत्री कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मढौरा, सारण, क कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जिला पदाधिकारी सारण, छपरा के पत्रांक-140 दिनांक-13.02.2020 द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र में अनुरोध किया गया है कि उनके पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र में टंकण भूलवश "चिकित्सा पदाधिकारी" के स्थान पर "प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी" अंकित हो गया था जिसे "चिकित्सा पदाधिकारी" पढ़ा जाय।

उक्त के आलोक में पर्षदीय पत्रांक-1403 दिनांक-31.07.2019 द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र के क्रमांक-29 पर पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पता कॉलम के अन्तर्गत "डॉ० गायत्री कुमारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मढौरा, सारण" के स्थान पर "डॉ० गायत्री कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मढौरा, सारण" पढ़ा जाय। शेष विवरण यथावत् रहेंगे।

ह०/-

अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापक:- सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०१/२०१९-५१७ पटना, दिनांक:- २९-०५-२०२०
प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना /अवर सचिव, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं डॉ० गायत्री कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मढौरा, सारण, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/05/20

अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

29/05/20